न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 03/2024

विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत वाहिदपुरा जरिये सरपंच पंचायत समिति मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
3. विकास कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
4. सुशिलाल देवी पुत्री बनवारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
5. कविता पुत्री बनवारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
6. अनिता पुत्री बनवारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
7. अजू शर्मा पुत्र बनवारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
8. पुजा पुत्री सरिता दोहिता बनवारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
9. विष्णु शर्मा पुत्र सरिता दोहिता बनवारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
10. पंकज पुत्र सरिता दोहिता बनवारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
11. प्रमोद पुत्र सरिता दोहिता बनवारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
12. मधी देवी पत्नी शिवदत जाति जाट निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
13. प्रमोद पत्नी संजीव कुमार जाति जाट निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
14. सुलोचना पत्नी विजय कुमार जाति जाट निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

– रेस्पोंडेन्टस्

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत वाहिदपुरा
पारित विक्रय नामान्तरकरण संख्या 1023 दिनांक 07.08.2023

ऐडवोकेट अपीलान्ट :– श्री रवि कुमार अपीलान्ट

आदेश

दिनांक 03.01.2025

अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम वाहिदपुरा पटवार हल्का क्षेत्र वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू में भूमि नया खाता संख्या 349 में हाल खसरा नम्बर 377 रकबा 2.60 हैक्टर तथा हाल खाता संख्या 439 के हाल खसरा नम्बर 374 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि अवस्थित है। खसरा नम्बर 377 में अपीलांट के पिता का हिस्सा 27/65 तथा भूमि खसरा नम्बर 374 में अपीलांट के पिता का हिस्सा 20773/87785 भूमि थी। अपीलांट के पिता बनावारीलाल का स्वर्गवास दिनांक 17.03.2022 को हो चुका है तथा अपीलांट के पिता के स्वर्गवास होने के अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 10 उक्त

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

बनवारीलाल की भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त हो गये। अपीलांट ने अपने पिता के स्वर्गवास के उपरांत उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में फौतगी नांतकरण दर्ज करवाने हेतु ग्राम पंचायत वाहिदपुरा को निवेदन किया जिस पर कार्यवाही करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पटवारी वाहिदपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की जिस पर दिनांक 10.07.2023 को पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि श्रीमानजी सलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र वारिसनामा के अनुसार नामांतकरण दर्ज कर आगामी कार्यवाही हेतु पेश है। उसके बाद भू. अ. निरिक्षक की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें दिनांक 10/07/2023 में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुताबिक सजरा विरासत नामांतरण अंकन सही है। लेकिन ग्राम पंचायत राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट में सरपंच ग्राम पंचायत वाहिदुपरा द्वारा बिना किसी आधार के दिनांक 07/08/2023 के प्रस्ताव संख्या 06 के द्वारा सर्वसमति से नामांतकरणखारिज करने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। उक्त रिपोर्ट में नामांतरकरण खारिज करने का कारण आपत्ति दर्ज किया गया है जबकि ऐसी कोई आपत्ति किसी के द्वारा नहीं की गई थी केवल राजनितिक द्वेषता से अपीलांट का विरासतन नामांतरकरण खारिज किया गया है जो कि कानूनन गलत है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 10 की यह पुश्तैनी / पैतृक भूमि है जो कि विरासत में उन्हे अपने पिता व मामा बनवारीलाल से प्राप्त हुई है और अपीलांट एवं रेस्पोंडेट संख्या 3 लगायत 10 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त भी है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपीलांट का विरासतन नामांतरकरण बिना किसी कानूनी नुक्स के खारिज करें। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाकर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण दर्ज किये जाना न्यायहित में न्यायोचित है।अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट की उक्त पुश्तेनी/पैतृक भूमि है जो कि विरासत में प्राप्त भूमि है जिसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 ने राजतिनिक द्वेषतावश बिना किसी उचित कारण अंकित किये अपीलांट का नामांतकरण गैर कानूनी रूप से खारिज कर दिया इसलिए रेस्पोडेट संख्य 1 का आदेश दिनांक 07.08.2023 निरस्त होने योग्य है.रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने आदेश दिनांक 07/08/2023 में केवल आपत्ति दर्ज कर उक्त नामांतकरण खारिज किया है जबकि ऐसी कोई आपति पेश नहीं की गई रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बिना किसी उचित कारण के नामांतरण खारिज किया है तथा ना ही अपीलांट को नामांतरकरण खारिज करने से पूर्व कोई सुचना दी गई और ना ही कोई अपना पक्ष रखने का मौकादिया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने राजनितिक द्वेषता से प्रेरित होकर बिना कोई निटिंग बुलाए अकेले ने उक्त प्रस्ताव पारित कर अपीलांट का नामांकरण खारिज किया है इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 1 का आदेश दिनांक 07.08.2023 निरस्त होने योग्य है।अतः अपील अपीलांटस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 का आदेश दिनांक 07.08.2023 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट एवं रेस्पोंडेंटस को बनवारीलाल के हिस्से की भूमि नया खाता संख्या 349 में हाल खसरा नम्बर 377 रकबा 2.60 हैक्टर तथा हाल खाता संख्या 439 के हाल खसरा नम्बर 374 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि वाके ग्राम वाहिदुपरा के राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामांतकरण दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट न0 01 लगायत 14 जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडन्ट न0 01 लगायत 14 बादजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहे। जिनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी ।

विद्वान अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा दौरान बहस अपील में अंकित तथ्यों को दौराते हुए निवेदन किया कि ग्राम वाहिदपुरा पटवार हल्का क्षेत्र वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं में उक्त भूमि में बनवारीलाल के हिस्से की भूमि नया खाता संख्या 349 में हाल खसरा नम्बर 377 रकबा 2.60 हैक्टर तथा हाल खाता संख्या 439 के हाल खसरा नम्बर 374 रकबा 0.97 हैक्टर भूमि वाके ग्राम वाहिदुपरा के राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामांतकरण केवल राजनिति द्वेषता से अपीलान्ट का नामान्तरकरण खारिज किया गया जो गैरकानूनी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर` आदेश दिनांक 07.08.2023 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक बनवारीलाल के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत सलंग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। नामा0 सं0 1028 दिनांक 10.07.2023 का अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण खारिज

करने का कोई युक्तियुक्त कारण का उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया । अतः न्यायहित की दृष्टि से अपील स्वीकार की जाती उचित प्रतीत होती है

आदेश

अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत वाहिदपुरा के नामा0 सं0 1028 दिनांक 07.08.2023 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मृतक बनवारीलाल के विधिक वारिसान की जांच करते हुए नियमानुसार नामान्तरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय दिनांक 03.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(सुशीला कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा